



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59264

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2032/2026

शाहजाद खान

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : संजय कुमार त्रिपाठी

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

- हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता की दलील सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया। विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षी संख्या 2 को नोटिस तामील कराया जा चुका है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा जमानत आवेदन संख्या 2089/2026 में दिनांक 27.06.2025 को पारित आदेश को रद्द करने, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 252/2024, धारा 302, 34 आईपीसी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)वी, थाना जैत, जिला मथुरा से उत्पन्न हुई है, और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने की भी प्रार्थना करते हुए दायर की गई है
- अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई मकसद नहीं है और न ही उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि आज तक अवर न्यायालय के समक्ष किसी भी गवाह को परीक्षित नहीं किया गया है। अपीलकर्ता 7.6.2024 से जेल में है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आगे यह तर्क दिया गया है कि समान परिस्थितियों वाले सह अभियुक्त, अनु उर्फ अर्जुन ठाकुर को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 29.10.2025 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध अपील संख्या 58/2025 में जमानत दी जा चुकी है, इसलिए आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत का हकदार है।

5. मैंने सह अभियुक्त की जमानत याचिका का अध्ययन किया है और पाया है कि वर्तमान अपीलकर्ता की भूमिका लगभग उस सह अभियुक्त के समान है जिसे इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

6. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने जमानत आवेदन का विरोध किया है, लेकिन अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, वर्तमान अपीलकर्ता की भूमिका और चोट की प्रकृति को देखते हुए, न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता जमानत के लिए पात्र है।

8. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में आरोपित **शाहजाद खान** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) अपीलकर्ता निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv) अपीलकर्ता उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

23 मार्च, 2026

ए.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"